

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-4
संख्या-514 /नौ-4-18-5ईओ/2018
लखनऊ: दिनांक-15 फरवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

नितान्त अस्थायी व्यवस्था के रूप में कालम-2 में उल्लिखित नगर निकायों में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त प्रभार कालम-3 में उल्लिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि इस हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा:-

क्र.	निकाय का नाम	अधिकारी का नाम जिनको अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।
1	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर सीकरी (आगरा)	श्री अजीत कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी, किरावली (आगरा)
2	नगर पालिका परिषद, बाह (आगरा)	श्री अरूण कुमार यादव, उप जिलाधिकारी, बाह (आगरा)
3	नगर पालिका परिषद, एत्मादपुर (आगरा)	श्री रजनीश मिश्रा, उप जिलाधिकारी, एत्मादपुर (आगरा)
4	नगर पंचायत, खेरागढ़ (आगरा)	श्री अभिषेक कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी, खेरागढ़ (आगरा)
5	नगर पंचायत फतेहाबाद (आगरा)	श्री प्रथमेश कुमार, संयुक्त मजिस्ट्रेट/अपर नगर मजिस्ट्रेट-2 आगरा

2. उक्त निकायों में नियमित अधिशासी अधिकारी की तैनाती हो जाने पर उक्त अतिरिक्त प्रभार स्वतः समाप्त हो जायेगा।

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-514 (1)/नौ-4-18-5ईओ/2018 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगर निकाय, निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, आगरा।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, फतेहपुर सीकरी, बाँह, एत्मादपुर, खेरागढ़ व फतेहाबाद।
4. सम्बन्धित अधिकारीगण।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(मनिराम सिंह)
संयुक्त सचिव।